भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3553
उत्तर देने की तारीख 11.08.2025

सेवा भोज योजना

3553. श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु उद्देश्य, दायरा और पात्रता मानदंड क्या हैं;
(ख) सेवा भोज योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा आवंटित धनराशि समय पर संवितरित की जाती है; और
(घ) उन राज्यों के नामों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जहां धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं ने इस योजना का अधिकतम लाभ उठाया है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता का उद्देश्य, दायरा और मानदंड **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।
(ख): इस योजना के अंतर्गत अब तक पंजीकृत और लाभान्वित धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

i. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर
ii. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति
iii. श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम न्यास, तिरुपति
iv. ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना
v. दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर

(ग): सरकार का निरन्तर यह प्रयास रहा है कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की चयनित लाभार्थी संस्थाओं से अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर और इस स्कीम के लिए किए गए

बजटीय आवंटन के अनुसार, इन संस्थाओं को वित्तीय सहायता का समय पर संवितरण सुनिश्चित किया जाए।

(घ): सेवा भोज योजना के आरंभ से अब तक जिन राज्यों की धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं ने इस योजना का अधिकतम लाभ उठाया है, उनका विवरण **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'सेवा भोज योजना' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

सेवा भोज योजना का उद्देश्य: 'सेवा भोज योजना' की स्कीम के अंतर्गत धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा जनता को नि:शुल्क भोजन वितरित करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर भुगतान किए गए केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति, भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में की जाती है।

सेवा भोज योजना का कार्यक्षेत्र : यह केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो धर्मार्थ/धार्मिक संस्थाओं द्वारा जनता/श्रद्धालुओं को नि:शुल्क भोजन प्रदान करने के लिए विशिष्ट कच्ची खाद्य सामग्रियों की खरीद पर भुगतान किए गए केन्द्रीय माल और सेवा कर (सीजीएसटी) और एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) की केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी की प्रतिपूर्ति करने के लिए है। यह स्कीम केवल उन संस्थाओं पर लागू होगी जो इस स्कीम के अंतर्गत पात्र हैं।

सेवा भोज योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु मानदंड:

(i) धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23खखक) के उपबंधों (समय-समय पर यथासंशोधित) के अंतर्गत शामिल या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12कक के उपबन्धों के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास या सोसाइटी या कॉरपोरेट निकाय, या संगठन या संस्थान, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25, जैसा भी मामला हो, के उपबन्धों के तहत गठित तथा पंजीकृत कंपनी, अथवा उस समय पर प्रवृत्त किसी कानून के तहत धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत सार्वजनिक न्यास, अथवा धर्मार्थ/धार्मिक प्रयोजनों के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत सोसायटी।

(ii) आवेदक, सार्वजनिक न्यास या सोसायटी या कॉरपोरेट निकाय या संगठन या संस्थान, जैसा भी मामला हो, मठों, मंदिरों, गुरुद्वारों, वक्फों, गिरजाघरों, यहूदी उपासना गृहों, पारसी पूजाघरों या धार्मिक उपासना के अन्य सार्वजनिक स्थलों सहित सार्वजनिक, धर्मार्थ/धार्मिक न्यासों या धर्मार्थ दान के माध्यम से नि:शुल्क एवं बिना किसी भेदभाव के भोजन/प्रसाद/लंगर (सामुदायिक रसोई)/भंडारे के नि:शुल्क तथा परोपकारी वितरण के धर्मार्थ/धार्मिक कार्यकलापों में अवश्य शामिल हो।

(iii) ये संस्थाएं/संगठन इस सहायता के लिए आवेदन करने से पूर्व, पिछले तीन वर्षों से कार्यरत होने चाहिए।

(iv) केवल वे संस्थाएं वित्तीय सहायता हेतु पात्र होंगी जो आवेदन करने के दिन कम से कम विगत तीन वर्षों से जनता को नि:शुल्क भोजन, लंगर और प्रसाद वितरित कर रही हों। इन संस्थाओं को इस आशय से स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(v) इस स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी, जो नि:शुल्क भोजन वितरित करने के प्रयोजन से केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रही हैं: उन्हें स्व-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vi) ये संस्थाएं एक कैलेंडर माह में कम से कम 5000 व्यक्तियों को नि:शुल्क भोजन वितरित कर रही हों।

(vii) विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के उपबंधों के अंतर्गत अथवा केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अधिनियम/नियमों के उपबंधों के अंतर्गत काली सूची में शामिल संस्था/संगठन इस स्कीम के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगे।

अनुलग्नक-II

'सेवा भोज योजना' के संबंध में दिनांक 11 अगस्त, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3553 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	संगठनों के नाम	राज्य	जारी की गई निधि
1.	2019-2020	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी), अमृतसर	पंजाब	171.00
		तिरुमला तिरुपति देवस्थानम, तिरुपति	आंध्र प्रदेश	19.63
		श्री वेंकटेश्वर अन्नप्रसादम न्यास, तिरुपति		5.27
2.	2020-2021	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	159.39
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		1.22
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		8.84
3.	2021-2022	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	149.83
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		0.28
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		4.81
4.	2022-2023	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	140.44
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		0.80
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		1.76
5.	2023-2024	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	142.12
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		3.88
6.	2024-2025	शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी)	पंजाब	128.71
		दुर्गियाना मंदिर, अमृतसर		15.53
		ड्रीम्स एंड ब्यूटी चैरिटेबल ट्रस्ट, लुधियाना		1.30

*****